# न्यायालय अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर
## पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र सिंह पुरोहित आर.ए.एस.

**सप्लाई विविध प्रकरण संख्या : 91/2025**

| प्रार्थी | बनाम | अप्रार्थी |
|---|---|---|
| राज्य सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद कार्यालय, प्रथम जोधपुर | | दीपक कुमार पुत्र मनोहर लाल, निवासी महामंदिर, जोधपुर फर्म चंचल नाश्ता कॉर्नर, नागौरी गेट,जोधपुर। |

**प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय व वितरण का विनियमन) आदेश 2000**

उपस्थितिः –
1. प्रार्थी की ओर से विभागीय पेरोकार श्री मानवेन्द्र प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद कार्यालय, प्रथम जोधपुर उपस्थित।
2. अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अरविन्द भाटी उपस्थित।

**निर्णय**

**दिनांक 17.07.2025**

प्रार्थी राज्य सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक, जिला रसद कार्यालय प्रथम जोधपुर की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित द्रवित पेट्रोलियम गैस (वितरण एवं प्रदाय नियन्त्रण) आदेश 2000 के अन्तर्गत अप्रार्थी दीपक कुमार पुत्र मनोहर लाल, निवासी महामंदिर, फर्म चंचल नाश्ता कॉर्नर नागौरी गेट,जोधपुर के विरूद्ध यह प्रकरण जब्तसुदा 04 घरेलु गैस सिलेण्डरों को राज्यसात करने हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 23.09.2024 को जिला प्रवर्तन अधिकारी मय निरीक्षक टीम कार्यालय जिला रसद अधिकारी प्रथम जोधपुर द्वारा नागौरी गेट स्थित चंचल नाश्ता कॉर्नर जोधपुर की आकस्मिक जांच करने पर उपस्थित व्यक्ति ने अपना नाम महेश पुत्र मनोहर लाल बताया तथा मैनेजर दीपक कुमार पुत्र मनोहर लाल होना बताया। प्रतिष्ठान पर मौके पर 04 घरेलु गैस सिलेण्डर (एच.पी.) भण्डारित कर नाश्ता बनाने संबधी व्यवसायिक गतिविधियों हेतु उपयोग किया जाना पाया गया।

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

मौके पर पाये गये 04 घरेलु गैस सिलेण्डर के अवैध भण्डारण के संबध में अप्रार्थी से कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ । मौके पर अवैध रूप से भण्डारित कर व्यवसायिक उपयोग करते पाए गये 04 घरेलु गैस सिलेण्डरों का विवरण इस प्रकार है:–

| क्र. स. | गैस कम्पनी का नाम | एस.आर.नम्बर | सिलेण्डर का वजन | कुल वजन | गैस का वजन (किलो में) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | एच.पी.सी.एल | 066329S | 15.7 कि.ग्रा. | 24.8 कि.ग्रा. | 9.1 कि.ग्रा. |
| 2. | एच.पी.सी.एल | 930788T | 15.6 कि.ग्रा. | 15.6 कि.ग्रा. | 0.0 कि.ग्रा. |
| 3. | एच.पी.सी.एल | 749718J | 15.7 कि.ग्रा. | 15.7 कि.ग्रा. | 0.0 कि.ग्रा. |
| 4. | एच.पी.सी.एल | 688535T | 15.6 कि.ग्रा. | 15.6 कि.ग्रा. | 0.0 कि.ग्रा. |

उक्त 04 घरेलु गैस सिलेण्डरों को जब्त सरकार किया जाकर श्री हनुमान विश्नोई पुत्र श्री भल्लाराम मैनेजर मारवाड गैस एजेन्सी जोधपुर को सुपुर्द किया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा उक्त 04 घरेलु गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण व व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा था जो कि द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थी द्वारा धारा 6(ए) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जब्त उक्त 04 घरेलु गैस सिलेण्डरों को राज्यसात् किये जाने की प्रार्थना की गई।

प्रकरण में प्रार्थी विभागीय पेरोकार की बहस सुनी गयी। प्रार्थी विभागीय पेरोकार प्रवर्तन अधिकारी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा प्रतिष्ठान पर वक्त जांच कुल 04 घरेलु गैस सिलेण्डरों को अवैध रूप से भण्डारित कर नाश्ता बनाकर ग्राहकों को बेचने संबधी व्यवसायिक उपयोग में लिया जाना पाया गया है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी द्वारा 04 घरेलु गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण व व्यावसायिक उपयोग में लिये जाने से आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 का स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया गया है जिसके कारण जब्त उक्त 04 घरेलु गैस सिलेण्डरों (एच.पी) को राज्यसात किये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया।

अप्रार्थी को प्रकरण में इस कार्यालय से जारी नोटिस क्रमांक 203 दिनांक 30.04.2025 बाद तामिल प्राप्त हुआ। नोटिस तामिली उपरान्त अप्रार्थी की ओर से जरीए अधिवक्ता न्यायालय हाजा में जब्तसूदा सिलेण्डर के संबध में लिखित जवाब प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थी अधिवक्ता श्री अरविन्द भाटी द्वारा वक्त बहस अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब के बिन्दुओं को दोहराते हुए बताया कि अप्रार्थी द्वारा प्रतिष्ठान पर घरेलु उपयोग

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

हेतु उपरोक्त 04 घरेलु सिलेण्डर रखे गये थे, जिनमें से कर्मचारियों द्वारा भूलवश 01 घरेलु सिलेण्डर नाश्ता बनाने में उपयोग किया गया जिसकी अप्रार्थी को जानकारी नहीं थी। अन्त में अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा उक्त घरेलु सिलेण्डर का भूलवश प्रतिष्ठान पर उपयोग किया जाना बताते हुए जब्तसूदा 04 सिलेण्डर रिलीज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

## "निष्कर्ष"

अप्रार्थी अधिवक्ता की बहस एंव अप्रार्थी के लिखित जवाब अनुसार प्रतिष्ठान पर कर्मचारी द्वारा घरेलु गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग किया जाना स्वीकार किया गया साथ ही हमने विभागीय पेरौकार की बहस पर मनन कर पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एंव मौका फर्द का अवलोकन किया । जिस अनुसार वक्त जांच प्रतिष्ठान पर 04 घरेलु गैस सिलेण्डर (एच.पी) के अवैध रूप से भण्डारित किए पाए गए। मौका फर्द अनुसार जब्तसुदा सिलेण्डरों में से 01 सिलेण्डर में गैस की मात्रा निर्धारित माप से कम पायी गई व अन्य 03 सिलेण्डर खाली पाये गये, जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त घरेलु गैस सिलेण्डरों का प्रतिष्ठान पर नाश्ता इत्यादि बनाने हेतु व्यवसायिक उपयोग किया गया है। उक्तानुसार अप्रार्थी द्वारा प्रतिष्ठान पर घरेलु गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक कार्यों में उपयोग किया जाना द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय व वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघंन है तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थी सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद कार्यालय प्रथम जोधपुर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा जब्तसुदा 04 घरेलु गैस सिलेण्डर (एच.पी) को राज्यसात करने का आदेश दिया जाता है। जिला रसद अधिकारी प्रथम जोधपुर को निर्देशित किया जाता है कि जब्तसुदा 04 घरेलु गैस सिलेण्डर (एच.पी) को राज्यसात कर नियमानुसार निस्तारण किया जाकर राशि राज्य कोष में जमा कराई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील तामिल दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.07.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित R.A.S)
अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर